सत्यमेव जयते

फाइल सं0 6/20/एनसीएससी/2012-समन्वय प्रको-ठ

भारत सरकार

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 16 **मार्च**, 2012

वि-ायः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 25वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की **दिनांक 12-03-2012 को अपराह्न** 2.00 **बजे** आयोजित 25**वीं बैठक** के अनुमोदित कार्यवृत्त की एक प्रति इसके साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की जाती है ।

(ए.के. सिंह)
अनुभाग अधिकारी

1. माननीय अध्यक्ष के अपर निजी सचिव
2. माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव
3. माननीय सदस्य(आरपी) के निजी सचिव
4. माननीय सदस्य(एमएस) के निजी सचिव
5. माननीय सदस्य(एलपीके) के निजी सचिव
6. सचिव के निजी सहायक
7. संयुक्त सचिव के निजी सचिव

निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यवृत्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों पर 3 दिन के भीतर कार्रवाई करें :-

1. निदेशक (प्रशासन/समन्वय प्रकोष्ठ/एपीसीआर/ईएसडीडब्ल्यू)
2. प्रभारी अधिकारी (एसएसडब्ल्यू)
3. अवर सचिव (एसएसडब्ल्यू)
4. अवर सचिव (एपीसीआर)
5. उप निदेशक (ईएसडीडब्ल्यू)

(ए.के. सिंह)
अनुभाग अधिकारी

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 12-03-12 को अपराह्न 2.00 बजे आयोजित 25वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 25वीं बैठक दिनांक 12-03-12 को अपराह्न 2.00 बजे डॉ. पी.एल. पुनिया, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में आयोजित की गई थी ।

1.1 **उपस्थित सदस्य:**

i) श्री राजू परमार, सदस्य

ii) श्री एम. शिवाना, सदस्य

2.2 **उपस्थित अधिकारी:**

i) डॉ. श्याम अग्रवाल, सचिव

ii) श्री टी. तीथन, संयुक्त सचिव

iii) श्री एम.आर. बाली, निदेशक

iv) श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव

v) श्री जगजीत सिंह, अध्यक्ष के अपर निजी सचिव

vi) श्री ए.के. सिंह, अनुभाग अधिकारी

2. माननीय अध्यक्ष ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी ।

3. विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

कार्यसूची की मद संख्या 1 से 6:	**दिनांक 3-10-11, 17-10-11 और 2-1-12 को आयोजित आयोग की 22वीं, 23वीं और 24वीं बैठकों के कार्यवृत्तों की पुष्टि और उन पर की गई कार्रवाई ।**

आयोग ने दिनांक 3-10-11, 17-10-11 और 2-1-12 को आयोजित आयोग की 22वीं, 23वीं और 24वीं बैठकों के कार्यवृत्तों की पुष्टि की और इन बैठकों के निर्णयों पर की गई कार्रवाई को अनुमोदित किया ।

कार्यसूची की मद संख्या 7	**अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011 के लिए एससीपी पर आयोग के विचार ।**

आयोग ने यथा प्रस्तावित संशोधनों को अनुमोदित किया ।

{कार्रवाई: संयुक्त सचिव(ईएसडीडब्ल्यू)}

कार्यसूची की मद संख्या 8	**तीन मामलों पर विचार–विमर्श अर्थात् (1) श्री आई.के. वेंकर, पूर्व एच.एम., केन्द्रीय विद्यालय संगठन, बड़ौदा का सेवा समाप्ति का मामला । (2) श्रीमती उरावसी, पूर्व फिजिकल एजूकेशन टीचर, केन्द्रीय विद्यालय संगठन का सेवा समाप्ति कां मामला और (3) श्री सुन्दर लाल, ग्रुप–डी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली का सेवा समाप्ति का मामला ।**

आयोग ने निर्णय लिया कि संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से एक अ.शा. पत्र आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सहानुभूतिक विचार-भाव के साथ तथा मेरिट पर तीन मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिए भेजा जाना चाहिए । यह भी निर्णय लिया गया कि इस संबंध में सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन से बात करनी चाहिए ।

{कार्रवाई: प्रभारी अधिकारी(एसएसडब्ल्यू)}

कार्यसूची की मद संख्या 9	**सफाई कर्मचारियों की दशा में सुधार संबंधी समिति की रिपोर्ट ।**

रिपोर्ट अनुमोदित की गई ।

कार्यसूची की मद संख्या 10	**एससीपी और एससीएसपी के अन्तर्गत निधियों की प्रभावी उपयोगिता संबंधी समिति की रिपोर्ट ।**

अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि सिफारिशों की सूची हाथ से सफाई करने से संबंधित मद से आरम्भ की जानी चाहिए । उसके बाद शिक्षा, पेयजल पर सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, सामुदायिक केन्द्र इत्यादि को सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

{कार्रवाई: समिति के सदस्य सचिव}

कार्यसूची की मद संख्या 11	**न्यायपालिका में आरक्षण संबंधी समिति की रिपोर्ट ।**

रिपोर्ट अनुमोदित की गई ।

कार्यसूची की मद संख्या 12	**अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए आवासीय स्कूल और छात्रावास संबंधी समिति की रिपोर्ट ।**

रिपोर्ट अनुमोदित की गई ।

कार्यसूची की मद संख्या 13	**अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद ।**

i) माननीय अध्यक्ष ने सीएमआईएस के बारे में पूछा । सचिव ने सूचित किया कि सिक्योरिटी ऑडिट, जो बड़ी बाधा थी, अब पूर्ण है । एनआईसी अब इसे मेन सर्वर में

बदल रहा है और इसका प्रचालन अगले सप्ताह तक हो जाने की संभावना है । इस संबंध में अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि औपचारिक रूप से इस प्रणाली के शुरु होने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि यह एक पुख्ता प्रणाली है ।

{कार्रवाईः सचिव/निदेशक(प्रशासन)}

ii) माननीय अध्यक्ष ने आयोग की वेबसाइट की री-डिजाईनिंग के बारे में पूछा । उन्होंने इच्छा की कि मामले में शीघ्र कार्रवाई की जाए ।

{कार्रवाईः समन्वय प्रकोष्ठ)}

iii) कार्यालय स्थान के मुद्दे पर यह निर्णय लिया गया कि डी.डी.ए. से अनुरोध किया जाना चाहिए कि एक ऐसा वैकल्पिक भू स्थल दिया जाए जो प्रमुख जगह अवस्थित हो और वहां पहुंचना आसान हो क्योंकि डी.डी.ए. द्वारा नरेला में यथा प्रस्तावित भू स्थल काफी दूर है और आयोग मुख्यालय के लिए उपयुक्त नहीं है । इसी बीच, मौजूदा कार्यालय का नवीकरण के संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए ।

{कार्रवाईः सामान्य प्रशासन)}

iv) यह निर्णय लिया गया कि प्रारूप अध्याय सदस्यों में परिचालित कर दिया जाए और उनसे राय मांगी जाए और उन्हें आगामी बैठक में आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए । यह भी निर्णय लिया गया कि जून, 2010 से मार्च, 2011 (10 महीने) की अवधि की वार्षिक रिपोर्ट (भाग) और वर्ष 2011-2012 (वित्त वर्षवार) की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए ।

{कार्रवाईः समन्वय प्रकोष्ठ)}

v) सोलह समितियों की रिपोर्टों की प्रगति पर भी विचार-विमर्श किया गया । अध्यक्ष की इच्छा थी कि विभिन्न मुद्दों पर समितियों का गठन वर्ष 2010-2011 (भाग) में परिलक्षित की जानी चाहिए क्योंकि ये समितियां रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान गठित की गई थी । उन्होंने यह भी चाहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण संबंधी रिपोर्ट तैयार करने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि कुछ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के साथ एक कार्यशाला/चर्चा का आयोजन किया जाए ।

{कार्रवाईः संबंधित सदस्य सचिव एवं समन्वय प्रकोष्ठ)}

अन्त में माननीय अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई ।